PBR/अपील/रतलाम/स्टाम्प आदि/2017/4758

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

1. श्री सज्जन क्षत्रिय समाज परिषद राजपुत बोर्डिग रतलाम
   द्वारा अध्यक्ष श्री औमअच्युतंसिंहजी पिता घनश्याम जी
   निवासी ग्राम पंचेड जिला रतलाम

2. श्री सज्जन क्षत्रिय समाज परिषद राजपुत बोर्डिग रतलाम
   द्वारा सचिव श्री गुरूगोविंद सिंह जी पिता श्री दुलेसिंह जी
   निवासी 103, राजस्व कालोनी रतलाम .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति
   रतलाम द्वारा अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार
   पिता श्री मदनमोहन व्यास,
   निवासी अजंता टाकिज रोड़, रतलाम

2. श्री डी.एस.सिसोदिया,
   निवासी 43, काटजु नगर, रतलाम .... प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आंफ स्टॉम्प रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 154/बी–103/धारा 33 /2005–06 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2013 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/रतलाम/स्टाम्प अधि./2017/4758

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 13-6-2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25-1-2017 को साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में दर्शाये गये आधार समाधानकारक नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	